भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3621

उत्तर देने की तारीख 11/08/2025

'परख' सर्वेक्षण की समीक्षा

†3621. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के राष्ट्रव्यापी 'परख' आरएस सर्वेक्षण, जिसने 21 लाख से अधिक छात्रों का आकलन किया है और विशेष रूप से अनुप्रयुक्त गणित और विश्लेषणात्मक पठन में अत्यधिक शिक्षण अंतराल पर प्रकाश डाला है, की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) समस्या-समाधान और समझ कौशल में सुधार करने के लिए कक्षा 6 से 9 हेतु बनाई गई विशिष्ट नीति या शैक्षणिक हस्तक्षेपों - जैसे स्थानीयकृत उपचारात्मक कार्यक्रम, शिक्षक कौशल उन्नयन या पाठ्यक्रम पुनर्रचना का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले विद्यालयों, विशेषकर प्रारंभिक संख्यात्मकता जैसे क्षेत्रों में पिछड़ रहे सरकारी और केंद्रीय विद्यालयों के लिए लक्षित सहायता शुरू करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इन क्षेत्रों में प्रगति को अनुवर्ती 'परख' या एनएएस चक्रों के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा, जिसमें जिला-स्तरीय सुधारों को सार्वजनिक किया जाएगा?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, एनसीईआरटी द्वारा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया था ताकि स्कूली शिक्षा के आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः कक्षा 3, 6 और

9) के अंत में छात्रों के बीच दक्षताओं के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत आधारभूत प्रदर्शन को समझा जा सके।

देश भर में 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक छात्रों और 2.70 लाख शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों ने इस मूल्यांकन में भाग लिया। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर भाषा और गणित में छात्रों के प्रदर्शन का विवरण नीचे दिया गया है:

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय प्रदर्शन (प्रतिशत सही स्कोर)		
कक्षा	**भाषा**	**गणित**
कक्षा 3	64	60
कक्षा 6	57	46
कक्षा 9	54	37

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तरीय रिपोर्ट, परिणामों के विस्तृत विश्लेषण सहित, https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं, जो मूल्यांकन-सह-सर्वेक्षण के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल है। यह पोर्टल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नीति निर्माताओं को अधिगम परिणामों और ऐसे परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक चरों पर मज़बूत, ज़िला-स्तरीय डेटा प्रदान करता है ताकि वे संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए डेटा-आधारित, स्थानीय हस्तक्षेप तैयार कर सकें।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 डैशबोर्ड के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 6 और 9 सहित विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण शिक्षण कमियों की पहचान करने में सहायता करती है, और ऐसी कमियों को पूरा करने के लिए संभावित हस्तक्षेपों का सुझाव देती है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुकूल

शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए सहायता, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण का संचालन, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित योग्यता-आधारित शिक्षा के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करने के लिए, एनसीईआरटी ने व्यापक फाउंडेशन स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) 2022 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 पेश की है, जो स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में प्राप्त की जाने वाली योग्यताओं को परिभाषित करती है और इसे पूरे भारत में स्कूल बोर्डों द्वारा अपनाया जा सकता है।

(ग): स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2021 को 'समझ के साथ पढ़ने और अंकगणित में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)' नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 के अंत तक अनिवार्य रूप से बुनियादी साक्षरता और अंकगणित (एफएलएन) प्राप्त कर ले। डीओएसईएंडएल के दायरे में आने वाले सभी केंद्र सरकार के स्कूल, जिनमें केंद्रीय विद्यालय और 36 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, निपुण भारत मिशन को कार्यान्वित कर रहे हैं।

निपुण के अंतर्गत पहलों में 'जादुई पिटारा (जेपी)' शामिल है, जो 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) का संग्रह है, जिसमें खिलौने, खेल, पहेलियाँ, कठपुतलियाँ, पोस्टर, फ्लैशकार्ड, कहानी कार्ड, छात्रों के लिए प्ले बुक सेट और शिक्षकों के लिए हैंडबुक शामिल हैं और इसका ऐप और वेबसाइट संस्करण 'ई-जादुई पिटारा (ई-जेपी)' है, जिसमें नवीनतम तकनीक का एकीकरण है जो खेल-आधारित शिक्षाशास्त्र, मातृभाषा में एफएलएन सीखने के लिए 121 स्थानीय भाषाओं में प्राइमर और विद्या प्रवेश - 3 महीने का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल और दिशानिर्देश' है, जो विविध पृष्ठभूमि से कक्षा- I में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों में स्कूल की तैयारी को बढ़ावा देता है और समग्र विकास के लिए एक आनंदमय और उत्तेजक वातावरण में खेल आधारित, आयु और विकास के अनुसार उपयुक्त सीखने के अनुभव प्रदान करता है।

उपरोक्त के अलावा, एनसीईआरटी के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र- परख ने समग्र प्रगति कार्ड और योग्यता-आधारित मूल्यांकन उपकरणों सहित, एफएलएन परिणामों को बेहतर बनाने के लिए संरचित शैक्षणिक हस्तक्षेप विकसित किए हैं। इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य

और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई), आवधिक अधिगम मूल्यांकन, विद्या समीक्षा केंद्र और राज्य स्कूल मानक निर्धारण प्राधिकरणों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में लक्षित सहायता प्रदान की जा सके।

(घ): भारत सरकार, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस), जिसे अब 'परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण' कहा जाता है, के माध्यम से समय-समय पर देश भर के स्कूलों में अधिगम परिणामों को मापने के लिए बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन-सह-सर्वेक्षण के निष्कर्षों को समर्पित वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाता है ताकि हितधारकों को स्कूलों में सीखने केपरिणामों में सुधार हेतु लक्षित, स्थानीय हस्तक्षेप तैयार करने हेतु सुदृढ़, जिला-स्तरीय डेटा उपलब्ध कराया जा सके।

*****